

संख्या- 87

तारीख :- 06-06-2014

झारखण्ड सरकार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा-7 की उप धारा-3 के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स टेक्नोकन्सल्ट विन्डिंग सेन्टर प्रा० लि० को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ।

1.नियोजक का नाम और पता :-

श्रीमती सुषमा कुमारी
रोड नं०- 15, ब्लॉक नं०- 62/2/1
आदिप्रपुर जिला- सराप्रबेला- खरसावाँ

2.उस स्थान का डाक पता/अवस्थित जहाँ नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है :-

वस्तु विहा कुलुपटोंग वस्ती
वाड नं०-17 आदिप्रपुर
जिला- सराप्रबेला- खरसावाँ

3.स्थापना का नाम और स्थायी पता :-

M/S टेक्नोकन्सल्ट विन्डिंग सेन्टर प्रा० लि०
कम नं०- 518, 519, 514 फ्लोर आशिमाना ट्रेड सेन्टर
आदिप्रपुर, जिला- सराप्रबेला- खरसावाँ ।

4.उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किए जाने हैं :-

विन्डिंग कन्सल्टेशन वर्क

5.नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या:-

100 (एक सौ) ।

6.कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त हाने की संभावित तारीख :- 01-01-2013 to 31-12-2017

7.भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियों :- X



उपाबद्ध

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
बी० ओ० रॉय, सराप्रबेला-खरसावाँ

यहाँ उपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात:-

- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा,
- किसी भी दिन नियोजन कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ।
- इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी ।
- भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा सेंदय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरे किसी करार समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई है । वहाँ इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी ।
- नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।